

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 676 सन 2021

अनवान :-

1. चानणराम पुत्र आदराम जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा।
2. सन्दीप पुत्र इन्द्राज जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
3. सुरेश पुत्र स्व गोवर्धन जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा

वादीगण

बनाम

1. आदराम पुत्र रावताराम जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
2. महावीर पुत्र आदराम जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
3. धर्मपाल पुत्र आदराम जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
4. सन्तलाल पुत्र आदराम जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
5. हेमराज पुत्र आदराम जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
6. मीरा पुत्री आदराम जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
7. रोशनी पुत्री आदराम जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
8. विमला पुत्री आदराम जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
9. हरिसिंह पुत्र रावताराम जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
10. इन्द्राज पुत्र हरिसिंह जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
11. सुभाष पुत्र इन्द्राज जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
12. सुमन पुत्री इन्द्राज जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
13. रामनिवास पुत्र गोवर्धन जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
14. मन्जु पुत्र गोवर्धन जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज


निर्णय दिनांक :- 20.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 10/8 की कुल 5.3130 हेक् भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1,9 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के पूर्वज रावताराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8, 10 ता 14 का प्रतिवादी संख्या 1,9 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी सांख्या 1,9 जो वादीगण का पिता एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 8, 12,14 वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1,9 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5, 11, 13 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5, 11, 13 के हक हिस्सा की भूमि अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5, 11, 13 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

 उपखण्ड अधिकारी

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1, 9, 10

जो वादी का पिता/पूर्वज है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5, 10, 13 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 9, 10 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि उसके /प्रतिवादी संख्या 1, 9, 10 जो वादी का पिता है के नाम से करवाई गई थी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1, 9, 10 के नाम से दर्ज है जो सयुक्त परिवार की सम्पति है अर्थात पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8, 10 ता 14 का प्रतिवादी संख्या 1, 9 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1, 9, 10, 6 ता 8, 12, 14 जो वादीगण के पिता/बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5, 11, 13 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5, 11, 13 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है एवं अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकबाल जबाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है। एवं प्रतिवादी संख्या 15 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646, न्यायायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारों के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है। अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 10/8 की कुल 5.3130 हैव भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1, 9 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के दादा रावताराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि में कुछ भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1, 9 के नाम से करवाई गई थी जो पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1, 9 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्तों के अनुसार यह साबित होता है कि सयुक्त परिवार की सम्पति एवं कृषि भूमि की आय से यदि कोई सम्पति या कृषि भूमि खरीद कर परिवार के मुखिया के नाम से करवाई जाती है तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 1, 6 ता 8, 10, 11, 12, 14 वादी के पिता/बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1, 6 ता 8, 10, 11, 12, 14 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5, 11, 13 के हक हिस्सा की भूमि है जसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं की सयुक्त परिवार की आय एव पैतृक सम्पत्ति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पत्ति भी पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी आती है अर्थात परिवार के सभी सदस्यों के हक हिस्सा की भूमि है वादी भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है प्रतिवादी संख्या 1, 6 ता 8, 10, 11, 12, 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया करने के कारण राज्यहकों को सुरक्षित रखने हेतु स्टाम्प ड्युटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 10/8 की कुल 5.3130 हैक् भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1, 9 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब 1/2 हिस्सा के एवं वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 11 बहिब 1/4 हिस्सा एवं वादी संख्या 3 एवं प्रतिवादी संख्या 13 बहिब 1/4 हिस्सा के खातदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहरा पण्डुआधिकारी

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

कैम्प कोर्ट - चक सरदारपुरा

सत्यमेव जयते

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021
पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. चानणराम पुत्र आदराम जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा।
2. सन्दीप पुत्र इन्द्राज जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
3. सुरेश पुत्र स्व गोवर्धन जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा

बनाम

वादीगण

- 1 आदराम पुत्र रावताराम जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
- 2 महावीर पुत्र आदराम जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
- 3 धर्मपाल पुत्र आदराम जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
- 4 सन्तलाल पुत्र आदराम जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
- 5 हेमराज पुत्र आदराम जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
- 6 मीरा पुत्री आदराम जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
- 7 रोशनी पुत्री आदराम जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
- 8 विमला पुत्री आदराम जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
- 9 हरिसिंह पुत्र रावताराम जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
- 10 इन्द्राज पुत्र हरिसिंह जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
- 11 सुभाष पुत्र इन्द्राज जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
- 12 सुमन पुत्री इन्द्राज जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
- 13 रामनिवास पुत्र गोवर्धन जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
- 14 मन्जु पुत्र गोवर्धन जाति मेधवाल निवासी जसानिया तहसील सिरसा
- 15 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 676 सन 2021 निर्णय दिनांक-

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 10/8 की कुल 5.3130 हैक् भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 .9 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब 1/2 हिस्सा के एवं वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 11 बहिब 1/4 हिस्सा एवं वादी संख्या 3 एवं प्रतिवादी संख्या 13 बहिब 1/4 हिस्सा के खातदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट....चक सरदारपुरा.